न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी ,चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – चावण्डदान चारण (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः टी.ए. 01/2021
पंजीयन दिनांकः 11.01.2021

सत्यनारायण पिता केशुराम जाति मीणा निवासी श्रीखेडी तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़

–अपीलान्ट

बनाम

1. देवा पिता बगदीराम जाति मीणा निवासी श्रीखेडी तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़
2. श्री सरकार जरिये तहसीलदार अरनोद तहसील अरनोद तहसील प्रतापगढ़

–रेस्पोडन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व निर्णय एवं आदेश न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, अरनोद
बमिसल क्रमांक 24/2019 रेवेन्यू प्रार्थना पत्र निर्णय एवं आदेश दिनांक 05.01.2021

उपस्थित वक्त बहसः 1. छोगालाल जाट– अधिवक्ता अपीलान्ट
2. चांदमल गर्ग – रेस्पोडेन्टगण–1
3. पूरणमल स्वर्णकार – राजकीय अभिभाषक रेस्पो–2

निर्णय **दिनांक 09.03.2022**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट प्रार्थी ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के विरूद्ध अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे वादपत्र एवं प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा भचुण्डला तहसील अरनोद की खाता सं. 97 मे दर्ज आराजी नम्बर 108 रकबा 1.59 हैक्टेयर आराजी नम्बर 179 रकबा 0.60 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.19 हैक्टेयर स्थित है। उक्त आराजीयात मे से आराजी नम्बर 179 रकबा 0.60 हैक्टेयर पर अपीलान्ट प्रार्थी काबिज होकर अपने बाप–दादाओ के समय से उपयोग उपभोग करता चआ आ रहा है। आराजी नम्बर 179 रकबा 0.60 हैक्टेयर पुराने आराजी नम्बर 155 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा से मिलकर बना है जो कि पूर्व मे बगदीराम पिता रोडा मीणा के नाम दर्ज रेकार्ड था उनकी मृत्यु के बाद उक्त आराजी विरासत से केशुराम देवा एवं अन्य तीन भाईयो के नाम दर्ज रेकार्ड हुई। और बंटवाडे मे उक्त आराजी केशुराम को मिली वर्तमान मे उक्त आराजी केशुराम से अपीलान्ट प्रार्थी को प्राप्त हुई। उक्त आराजी बगदीराम की मृत्यु के बाद केशुराम को प्राप्त हुई। केशुराम के बाद बंटवाडे मे उक्त आराजी अपीलान्ट प्रार्थी को प्राप्त हुई। उक्त आराजी पीढी दर पीढी अपीलान्ट प्रार्थी व उसके बाप दादाओ के कब्जे मे चली आ रही है। विगत 40–50 वर्षो

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

से उक्त आराजी अपीलान्ट प्रार्थी व उसके बाप दादाओ के कब्जे मे चली आ रही है। वर्तमान मे अपीलान्ट प्रार्थी उक्त आराजी पर काबिज होकर कृषि कार्य करता चला आ है। सेटलमेन्ट के बाद उक्त आराजी सीधे ही रेस्पोडेन्ट सं. 1 के नाम दर्ज रेकार्ड हो गई। और रेस्पोडेन्ट के ही नाम दर्ज चली आ रही है। जबकि बंटवाडे मे आराजी नम्बर 179 रकबा 0.60 हैक्टेयर केशुराम से अपीलान्ट प्रार्थी को प्राप्त हुई और अपीलान्ट प्रार्थी का और उसके पिता का उक्त आराजी पर 40–50 वर्षो से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। जिससे अपीलान्ट प्रार्थी उक्त आराजीयात के खातेदारी घोषित कराने का अधिकारी है। अपीलान्ट प्रार्थी ने रेस्पोडेन्ट को कई बार नाम पर कराने के लिये कहा फिर भी रेस्पोडेन्ट टालम–टोली करता रहा जिससे अपीलान्ट प्रार्थी ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे वादपत्र एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। वादपत्र एवं प्रार्थना पत्र के साथ मिलान क्षैत्रफल, नकल जमाबन्दी, साबिक सेटलमेन्ट, नकल जमाबन्दी वर्तमान प्रस्तुत किया।

अधीनस्थ न्यायालय मे उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। जिस पर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने दिनांक 12.06.2019 को अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की तत्पश्चात् रेस्पाडेन्ट सं. 1 ने दिनांक 02.12.2020 को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया व दिनांक 17.12.2020 को उभय पक्षकारान की ओर से लिखित बहस व शपथ पत्र व दस्तावेज प्रस्तुत किये। व दिनांक 05.01.2021 को अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रेस्पोडेन्ट को रेकार्डेड खातेदार मानते हुए अस्वीकार कर खारीज किये जाने का निर्णय व आदेश पारित कर दिया।

अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 05.01.21 से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट प्रार्थी ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। इस न्यायालय मे अपीलान्ट प्रार्थी की ओर से प्रथम अपील प्रस्तुत होने पर दिनांक 11.01.2021 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल मिसल की गई। व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

इस न्यायालय द्वारा दिनांक 02.08.2021 को उभय पक्षकारान की बहस समायत की जाकर पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 10.08.2021 नियत की गई। निर्णय से पूर्व अधिवक्ता अपीलान्ट प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 7 जा0दी0 प्रस्तुत कर विवादित कृषि आराजीयात की मौका रिपोर्ट तलब किये जाने का प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र की नकल अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट को दिलाई गई। उक्त प्रार्थना पत्र का रेस्पोडेन्टगण ने दिनांक 10.08.2021 को ही जवाब प्रस्तुत किया गया व उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार अरनोद से विवादित आराजीयात की मौको रिपोर्ट तलब की गई। जिस पर दिनांक 01.02.2022 को तहसीलदार अरनोद के द्वारा उभय पक्षकारान की उपस्थिति मे दिनांक 30.10.2021 को

मौका रिपोर्ट तैयार की जाकर जरिये डाक प्रेषित की गई व शामिल फाईल की गई व उभयपक्षकारान की मजिद बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट प्रार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि विवादित कृषि आराजीयात मौजा भचुण्डला की आराजी नम्बर 179 रकबा 0.60 हैक्टेयर अपीलान्ट प्रार्थी व रेस्पोडेन्ट सं. 1 विपक्षी की पैतृक कृषि आराजीयात रही है जो गलत रूप से रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज हो गई है जबकि केशुराम भी बगदीराम का पुत्र रहा है। व बगदीराम ने बंटवाडे से आराजी नम्बर 179 रकबा 0.60 हैक्टेयर अपीलान्ट प्रार्थी के पिता को दी है। जिस पर अपीलान्ट प्रार्थी काबिज है व अपीलान्ट प्रार्थी ने उक्त आराजीयात पर मकान का निर्माण करवाकर सपरिवार निवास करता चला आ रहा है। ऐसी स्थिति मे अपीलान्ट प्रार्थी की ओर से अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य था फिर भी अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र के निस्तारण मे जिन आवश्यक तत्वो का विश्लेषण किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक था उन तत्वो का विश्लेषण किये बगैर रेस्पोडेन्ट सं. 1 विपक्षी को खातेदार होना मानते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण कर खारीज किया है। जबकि इस न्यायालय मे प्रस्तुत मौका रिपोर्ट तहसीलदार अरनोद ने भी उक्त आराजी पर अपीलान्ट प्रार्थी का कब्जा होना स्वीकार किया है। जिससे अपीलान्ट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रकरण प्रथम दृष्टया मामला था। सुविधा का संतुलन भी अपीलान्ट प्रार्थी के पक्ष मे था। मूलवाद के निस्तारण किये जाने तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने से विपक्षी को भी किसी प्रकार की क्षति या नुकसान होने की संभावना नही थी। फिर भी अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया है। जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 विपक्षी ने अपनी बहस मे अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश विधिपूर्ण व न्यायोचित होना बताया। वह यह निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट विपक्षी के पिता बगदीराम के खाते मे थी जो विरासत से रेस्पोडेन्ट विपक्षी के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षी रेस्पोडेन्ट उक्त आराजी पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। अपीलान्ट प्रार्थी व अपीलान्ट के पिता उक्त आराजीयात के कभी खातेदार नही रहे है। न ही अपीलान्ट प्रार्थी का कब्जा है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने मे किसी प्रकार की त्रुटि नही होकर अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय का निर्णय व आदेश न्यायोचित होकर अपीलान्ट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 2 ने अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश को विधिपूर्ण होना बताते हुए अपीलान्ट प्रार्थी की अपील को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्तओ की विधिपूर्ण बहस पर मनन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली का गहनता से विधिपूर्ण अवलोकन किया। इस न्यायालय द्वारा तहसीलदार अरनोद से तलब की गई मौका रिपोर्ट, पर्चा मौका, नजरी नक्शा का भी अवलोकन किया। जिसमे मौतबीरान की उपस्थिति मे तहसीलदार अरनोद ने मौजा भचुण्डला की आराजी नम्बर 179 रकबा 0.60 हैक्टेयर जो रेस्पोडेन्ट के खातेदारी मे दर्ज होकर अपीलान्ट प्रार्थी के कब्जे मे होना अंकित किया है। यह भी अंकित किया है कि उक्त आराजी पर रेस्पोडेन्ट ने मकान बनाकर सपरिवार निवास कर रहे है। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने दिनांक 12.06.2019 को उक्त आराजीयात के सम्बन्ध मे अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा भी जारी की है। तत्पश्चात् अपीलान्ट ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे लिखित बहस व स्वतन्त्र गवाहान के शपथ पत्र कारूलाल पिता गेबीलाल कलाबाई पिता केशुराम लोकेश पिता गेबीलाल शिवनारायण पिता गुलाब के शपथ पत्र प्रस्तुत कर उक्त आराजीयात पर अपने पिता के जीवनकाल से कब्जा होना बताया है। यह भी निवेदन किया कि उक्त आराजी बगदीराम की थी व अपीलान्ट के पिता केशुराम भी बगदीराम का पुत्र है। बगदीराम ने बंटवाडा कर आराजी नम्बर 179 रकबा 0.60 हैक्टेयर अपीलान्ट के पिता केशुराम को देना अंकित किया है। ऐसी स्थिति मे उक्त आराजीयात अपीलान्ट की पैतृक है या नही यह तथ्य मूलवाद के निस्तारण मे तय होना शेष है। व मूलवाद अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे विचाराधीन है। ऐसी स्थिति मे मूलवाद के निस्तारण तक पक्षकारान के हितो को ध्यान मे रखते हुए विवादित कृषि आराजीयात की मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति कायम रखाया जाना न्यायोचित है। जिससे अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्ट प्रार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, अरनोद प्रकरण संख्या 24/2019 रेवेन्यू प्रार्थना पत्र निर्णय व आदेश दिनांक 05.01.2021 निरस्त किया जाकर अपीलान्ट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा भचुण्डला तहसील अरनोद की साबिक आराजी नम्बर 155 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा जिसके नवीन आराजी नम्बर 179 रकबा 0.60 हैक्टेयर की मूलवाद के निस्तारण तक मौके व राजस्व रेकार्ड की यथावत स्थिति कायम रखाये जाने का आदेश पारित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 09.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली लोटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(चावण्डदान चारण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़